न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 79/17 (RCMS No. 2017/00090 (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

राजकुमार कुर्मी वकील पुत्र बालमुकुन्द कुर्मी वकील निवासी 21, बालमन्दिर कालोनी मानटाउन सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. रजिया पुत्री बशीर मोहम्मद निवासी धर्मपुरा लाखेरी एस.पी. बंगले के पास जिला बूँदी
2. वेनजीर पुत्री बशीर मोहम्मद निवासी धर्मपुरा लाखेरी एस.पी. बंगले के पास जिला बूँदी
3. हल्का पटवारी ग्राम नीमली खुर्द हल्का जीनापुर तहसील सवाई माधोपुर
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर
5. न्यायालय ए.सी.एम कोर्ट मुख्यालय सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 23.06.2015 एवं नामा0 सं0 280 दिनांक 16.09.2013 ग्राम नीमली खुर्द तहसील सवाई माधोपुर

उपस्थितिः—

1. श्री जगदीश कुमार वकील अपीलान्ट
2. श्री भोला शंकर शर्मा वकील रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य **दिनांकः—27.03.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 23.06.2015 एवं नामान्तरकरण सं0 280 पर पारित आदेश दिनांक 16.09.2013 वॉके ग्राम नीमली खुर्द तहसील सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सहायक कलक्टर (मु0) सवाई माधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.07 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 280 अपीलान्ट के स्थान पर रैस्पो0 के नाम भरा जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 16.09.2013 को तस्दीक किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय

में अपील पेश की थी। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने यह माना कि विवादित आराजी के संबंध में अपील माननीय राजस्व मण्डल में जेरकार है। जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 27.05.04 की पालना व क्रियान्विती को स्थगित रखा गया है। उक्त आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी की अपील संख्या 97/07 व 44/07 दोनों का एक साथ पारित किया गया है। मामला राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने व स्थगन होने के कारण अपील का अन्तिम निर्णय माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगा। अतः अपील खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट लिखित बहस पेश की। जिसमें अंकित किया कि सहायक कलक्टर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 181/86 वशीर बनाम गुलजी विचाराधीन था जिसका निर्णय दिनांक 12.04.07 को हो गया। इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में दो अपीलें अपील संख्या 97/07 उनवानी हुसेन बनाम रसीद एवं अपील संख्या 44/07 उनवानी राजकुमार बनाम रसीद दायर की गई। जिनमें से हुसेन बनाम रसीद दिनांक 27.05.14 को खारिज कर दी थी तथा राजकुमार बनाम रसीद में अपीलान्ट को खातेदार घोषित कर दिया। हुसेन बनाम रसीद जो खारिज की गई थी उसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में दो अपीलें अपील संख्या 3200/14 हुसैन बनाम मुमताज एवं अपील संख्या 3201/14 हुसैन बनाम राजकुमार दायर हुई जिसमें से 3200/14 में स्थगन जारी हुआ था। हुसैन बनाम राजकुमार में कोई स्थगन नही है। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध रजिया ने कोई अपील पेश नही की है। हुसेन वगैरहा का इस प्रकरण में कोई लोकसस्टेण्डाई नही है। इसलिये राजस्व मण्डल ने 3201/14 में कोई स्थगन जारी नही किया। सीपीसी के आर्डर 22 11 पार्ट 2 (क) व डी भाग का अवलोकन नही किया गया है न ही आर्डर 22 रूल 4 की पालना की गई है। अपीलान्ट व बैंक को कोई सूचना नही दी गई है। तहसीलदार ने राजस्व अपील अधिकारी के स्थगन की सूचना 13.0913 को अपील विचाराधीन होने व स्थगन बाबत् सूचना हल्का पटवारी को भी दी गई इसके बाबजूद नामा0 स्वीकृत कर दिया। रैस्पो0 सं0 5 ने मृतक के वारिसों को रिकार्ड पर लिये बिना आदेश जारी किया है। रैस्पो0 सं0 4 ने भी मृतक के वारिसों को रिकार्ड पर लिये बिना नामा0 तस्दीक किया है। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 1992 आरआरडी 304, 1985 आरआरडी 170, 1973 आरआरडी 13, 1995 आरआरडी 120 के दृष्टान्त पेश किये।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि सहायक कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.07 में बशीर के उत्तराधिकारी रजिया, बेनजीर, रसीद, टिक्के खॉ आदि को मानकर अपीलान्ट का क्लेम फर्जी मानते हुऐ निर्णय पारित किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने रजिया व बेनजीर के हक में निर्णय पारित किया है। उनका तर्क है कि अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश व.ख. सवाई माधोपुर के यहॉ बशीर के उत्तराधिकारियों द्वारा फर्जी बिक्रय पत्र जो जमीन पुत्र गुलाबा ने स्वंय का नाम फर्जी रूप में अब्दुल रहमान पुत्र बशीर रखकर कराया था, उसको निरस्त करने के बाद माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.92 का विक्रय पत्र निरस्त किया एवं उसमें बशीर के उत्तराधिकारी नन्नी, रसीद, टिक्के खॉ को माना। इसके बाद अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.08 को जारी की गयी। साथ ही माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय फास्ट ट्रेक द्वारा भी

दिनांक 08.12.05 को निर्णय व डिक्री जारी की गयी। इस प्रकार सिविल न्यायालय व राजस्व न्यायालयों में रजिया व बेनजीर के हक में निर्णय पारित किया है। उसके अनुसार ही नामान्तरकण दर्ज किया गया है, जो विधि सम्मत् है। चूँकि माननीय राजस्व मण्डल में प्रकरण विचाराधीन है तथा एक प्रकरण में स्थगन आदेश है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित होने के कारण अपील का अन्तिम निर्णय माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगा, का निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। रैस्पो0 ने बहस के दौरान राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश दिनांक 20.06.14 की फोटो प्रति पेश की। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.07 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 280 तहसीलदार द्वारा दिनांक 16.09.2013 को तस्दीक किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की थी। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने यह माना कि विवादित आराजी के संबंध में अपील माननीय राजस्व मण्डल में जेरकार है। जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 27.05.04 की पालना व क्रियान्विती को स्थगित रखा गया है। उक्त आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी की अपील संख्या 97/07 व 44/07 दोनों का एक साथ पारित किया गया है। मामला राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने व स्थगन होने के कारण अपील का अन्तिम निर्णय माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगा। अतः अपील खारिज कर दी। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 27.05.14 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपीलें विचाराधीन हैं। जिसमें अपील संख्या 3200/14 हुसैन बनाम मुमताज में स्थगन जारी किया गया है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल की अपील संख्या 3200/14 की आदेशिका दिनांक 20.06.14 का अवलोकन किया गया जिसमें आदेश दिया गया है कि ''स्थगन प्रा0 पत्र स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि उनके निर्णय दिनांक 27.05.14 की पालना व क्रियान्विती नियत पेशी तक स्थगित की जाती है।'' इससे जाहिर है कि माननीय न्यायालय ने राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 27.05.14 को स्थिगित किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में दो अपीलों को कन्सोलीडेट कर निर्णय पारित किया है। माननीय राजस्व मण्डल ने राजस्व अपील प्राधिकारी के पूरे आदेश दिनांक 27.05.14 को स्थगित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये है जो विधि सम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.06.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official